कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून।

पत्रांकः- वि0वाँ0प्र0-17//2024 दिनांक- 31/07/2024

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,

देहरादून।

कृपया अल्पसंख्यक आयोग के पत्र स0- 290/उ.अ.आ /अनिल कुमार जैन/दे.दून /2024-25 दिनांक 21.06..2024 आवेदक श्री अनिल कुमार जैन जे0डी0 जैन निवासी -24 पंचशीला पार्क चकराता रोड देहरादून का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो कि आवेदक के शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

सन्दर्भित प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर देहरादून, से करायी गयी। जिनके द्वारा अपनी जांच आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जांच के दौरान लिए गये कथनो एवं दस्तावेजों के अवलोकन से पाया कि आवेदक द्वारा विपक्षी को उक्त प्रकरण में कोई नोटिस नही दिया गया है तथा दोनो को मध्य प्रत्येक वर्ष अनुबन्ध किया जाता है। जिसका विपक्षी द्वारा भुगतान ऑनलाईन किया जाता है। विपक्षी द्वारा बकाया किराया जल्दी लौटाने व मकान खाली करने हेतु 10 अगस्त 2024 की तिथि दी गयी है। विपक्षी को हिदायत दी गयी कि अनुबन्ध में तय किराया भुगतान करने व आवेदक का भवन खाली करने व विवाद का निस्तारण करें।

उक्त प्रकरण किराये के लेने देने से सम्बन्धित है। जोकि सिविल प्रवृति का है। उक्त सम्बन्ध में आवेदक चाराजोही न्यायालय हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र में किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

विस्तृत जांच आख्या संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न- प्रा0 पत्र मुल रुप में मय जांच आख्या 07 वर्क।

अपर पुलिस अधीक्षक (दूर संचार)
जनपद देहरादून।